न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक/1647/विधि सहरसा, दिनांक 07-6-2023

प्रतिलिपि :- (1) जिला पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन० वाद सं0-118/2022 में दिनांक-03.06.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, सुपौल उनके पत्रांक 93/अभि0 दिनांक 02.11.2022 से प्राप्त निम्न न्यायालय सनाहर्त्ता-सह-जिलाधिकारी, सुपौल के आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-30/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-04 पन्ना एवं अन्य कागजात-67 पन्ना कुल-71 पन्ना) मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।
अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती अंशू कुमारी, पति-जय कुमार यादव / श्रीमती सुलेखा कुमारी, पति-ओम प्रकाश यादव / तेतरी कुमारी, पति-आनन्द यादव, तीनों सा0-धोधड़रिया, पंचायत-धोधड़रिया वार्ड नं0-09, प्रखंड-मरौना जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..से...तक

जिला..., सं0.., सन् १९...

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
03/06/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-118/2022** **अंशू कुमारी ....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य......................................रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद अंशू कुमारी, पति-जय कुमार यादव, सा0-घोघड़रिया, वार्ड नं0-09, प्रखंड-मरौना, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-30/2021 अंशू कुमारी बनाम तेतरी कुमारी / सुलेखा कुमारी एवं अन्य में दिनांक 23.07.2022 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है। दिनांक 25.05.2023 को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक 990 दिनांक 05.04.2016 के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780 दिनांक 05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से	

संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

3/6/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

3/6/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।